

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO:- 171100312

Block/Sector:-

Plot/House:-Arazi No. 666.662 Part

SCHEME : NON SCHEME

Permit Date:- 10/12/2012

Application Date:-17/11/2012

Permit No:-634/BHAWAN /2012-13

Area (Place):- SINGHPUR KACHHAR


Land Usage:-GROUP HOUSING

Applicant's Name- SRI ADITYA KUMAR MISHRA

Present Address:- 106/247 GANDHI NAGAR, KANPUR

Sanction vide order dated: 04/12/2012 V.C. build granted as per sanctioned building Plan enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years the date of sanction for fresh map/ one year in Case Of renewal.


Authorised Signatory
नगर विकास अधिकारी
(सि.प.प.)

Copy to:- Officer incharge (Enforcement) alongwith sanctioned copy of Map.

/
Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तें

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित या उल्लेख की किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होगा है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवक्षित कार्यवाही हेतु निरस्योग्य अथवा निर्वाहान भंगनी है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रावधानों पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवात तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जा चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नाशिये के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा अपरिष्कृत कचरे/कचरी/कचरा/कार्बनिस और किसी प्रकार का प्रेशक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेशक भू-म में डाल न करने में नर्शा दिये गये की अनुज्ञा प्रत्यान्व होगी। ऐसे निर्माण कार्य के लिए नगर प्रशासनिक अधिनियम की धारा 237 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा को विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में गलत इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करते अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो जब तक इस प्रकरण जग पर उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अनुमति न हटा दिये गये।
6. रंग वाशर हार्डरेटिंग वृक्षारोपण का प्रावधान करना होगा।
7. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
8. पक्ष का उपबंध 2008 के अनुसार वृक्ष लगाने होंगे। एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्रावधान करना होगा।
9. 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. आगदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के काम में भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। प्राधिकरण से कोई सम्बन्धी नहीं होगा।
11. मानचित्र में दर्शित स्ट्रिक्ट का उपयोग फार्किंग हेतु ही किया जायेगा।
12. भवन उपबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु दिये गये प्रारूप के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त नगर में अध्यासन का कार्यवाही की जायेगी।
13. भवन की सुरक्षा हेतु स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग के साथ भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रमाणपत्र स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा तथा समस्त निर्माण दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
14. अग्निशमन विभाग जलसंस्थान, कैंस्ट्रो, प्रदूषण की अनापत्ति के सम्बन्ध में आप द्वारा उपाध्यक्ष महोदय को प्रेषित प्रार्थनापत्र के काम में एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा तथा समस्त निर्माण अनापत्ति प्राप्त हो जतन के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जायेगा। अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
15. मानचित्र में दर्शित रोड विस्तार भूमि रोड हेतु रिक्त रखनी होगी।
16. मानचित्र 2008 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. मानचित्र में दर्शित वास्तु न किये जाने ही दशा में मानचित्र स्थल निरस्त समझा जायेगा।

Authorised Signatory